

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-1562/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ दिनांक: फरवरी 26 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी०/४५, दिनांक 18.04.2018 एवं उ०प्र० शासन का पत्रांक-81/14-2-2018-800(118)/2017, दिनांक-03.07.2018 तथा भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी०/२१९, दिनांक 20.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.04.2018 द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-3113/मीरजापुर/33, दिनांक 02.02.2019 तथा भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.08.2018 द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-3114/मीरजापुर/33, दिनांक 02.02.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेखों की दो-दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
612

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11 सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।